

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 153 सन 2020

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र भादरराग जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भादर पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
2. प्रेमसुख पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
3. प्रेमादेवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
5. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राहूल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
8. नीतू कुमार पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
9. सोनू पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
10. ओमीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 197/203 की कुल 18.6400 हैक् में से 13493/18640 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनसुार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 10 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाये की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 197/203 की कुल 18.6400हैक में से 13493/18640 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 10 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /पौत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 197/203 की कुल 18.6400हैक में

उपस्थित अधिकारी

६.२

से 13493/18640 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमावन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि ग्यानाराम वल्द लालचन्द के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के दादा ग्यानाराम वल्द लालचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 7 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रायुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 197/203 की कुल 18.6400 हैक् में से 13493/18640 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब 12.228 हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक् भूमि का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.4400 हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 बहिब 2.0240 हैक् भूमि के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुयत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यथ वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्ली जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर दूसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (धुनोनागरी)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भादर पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
2. प्रेमसुख पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
3. प्रेमादेवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
5. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राहूल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
8. नीतू कुमार पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सोनू पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
10. ओभीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 153 सन 2022 निर्णय दिनांक- 29/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सदुत्त एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 197/203 की कुल 186400हैक् में से 13493/18640 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिव 12.228हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.265हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.4400हैक् एव प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिव 2.0240हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रलमन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उभयपक्ष अपना अपना रहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)